P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-8* November-2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में योगदान का तुलनात्मक अध्ययनः (जनपद चमोली के विशेष संदर्भ में)

Comparative Study of Contribution of Members of School Management Committee in Progress of Primary Education: (with Special Reference to District Chamoli)

Paper Submission: 15/11/2021, Date of Acceptance: 23/11/2021, Date of Publication: 24/11/2021

पूजा सैलानी
अस्सिटेंट प्रोफेसर,
अंशकालिक
गृह विज्ञान विभाग,
एम. के. पी. पी.जी. कालेज,
देहरादून, उत्तराखण्ड,
भारत

सारांश

"स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त ही सरकार की शिक्षा नीति सभी बच्चों को कम से कम प्रारम्भिक स्तर तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की रही हैं। प्राथमिक शिक्षा की नीवं को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। छः से चौदह वर्ष के बीच दी जाने वाली शिक्षा बच्चों के विकास में बहुत आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा का बालक तथा समाज के जीवन में विशेष महत्व है। इस अवस्था पर बालक के विकास की नीवं पड़ती है। प्राथमिक शिक्षा को सशक्त और संसाधनयुक्त बनाने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति और विकास में विद्यालय प्रबन्ध समितियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इन समितियों में शिक्षक, अभिभावक, पंचायत के सदस्य ग्रामप्रधान आदि सदस्य के रूप में कार्य करती है। एस0 एम0 सी0 की बैठकों में विद्यालय और शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मुददों पर चर्चा होती है। और इसके अनुसार कार्य योजना तैयार की जाती है। जिससे समस्याओं का समाधान हो सके और शिक्षा की प्रगति के लिए प्रयास किये जा सके। विद्यालय प्रबन्ध समिति तय करती है कि शिक्षा की प्रगति हो सके। प्रत्येक वर्ग के बच्चों का नामाकन किया जाय ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में कहा गया कि हर बच्चे का नामाकंन होना चाहिए और 14 वर्ष की आयु तक उसे हर हालत में शिक्षा मिलनी चाहिए। ज्ञात्वय है कि नई शिक्षा नीति (2020) में भी प्राथमिक शिक्षा को काफी महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्ध और योगदान में एस0एम0सी0 की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सदस्य नियमित सहयोग, योगदान, निगरानी तथा समन्वय करती है। विद्यालय प्रबन्ध समिति नामाकंन बढ़ाने, ड्रॉप आउट कम करने, बालिका शिक्षा और एस0सी0/एस0टी0 के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की समीक्षा भी करती है। प्रस्तुत शोध पत्र "विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में योगदान का तुलनात्मक अध्ययन (जनपद चमोली के विशेष संदर्भ में)" सम्पादित किया गया। मुख्य निष्कर्ष में पाया गया कि विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में सक्रिय योगदान रहा है।"

"The education policy of the government has been to provide free and compulsory education to all children at least up to the elementary level, only after attaining independence. It is very important to strengthen the foundation of primary education. Education given between the age of six to fourteen is very important in the development of children. Primary education has special importance in the life of the child and society. The foundation of the child's development is laid at this stage. Community plays an important role in making primary education strong and resourceful.

The role of school management committees is also important in the progress and development of primary education. In these committees, teachers, parents, members of the panchayat, village head etc. work as members. Various issues related to school and education are discussed in the meetings of SMC. And accordingly the action plan is prepared. to solve problems And efforts can be made for the progress of education. The school management committee decides that education can progress. Enrollment of children of every class should be done so that no child is deprived of education. The National Policy on

Education (1986) stated that every child should be enrolled and should get education at any cost till the age of 14 years. It is to be known that in the New Education Policy (2020) also, a lot of importance has been given to primary education. The role of SMC is important in the management and contribution of primary education. Members regularly collaborate, contribute, monitor and coordinate. School Management Committee works to increase enrollment, reduce drop out, girls education and motivate SC/ST children to send them to school. It also reviews the quality of the mid-day meal. Presented research paper "Comparative study of contribution of members of school management committee in the progress of primary education (with special reference to district Chamoli)" was edited. It was found in the main findings that the members of the school management committee have been actively contributing in the progress of primary education.

मुख्य शब्द विद्यालय प्रबन्ध समिति, नामाकंन, सार्वभौमिक शिक्षा, अवलोकन, योगदान।

Keywords School Management Committee, Enrollment, Universal Education, Observation, Contribution.

प्रस्तावना

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किये गये। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शिक्षा प्रसार में स्थानीय समुदायों का सहयोग सशक्त बनाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा एक बुनियादी शिक्षा है। इसलिए इसे सुदृढ़ और सशक्त बनाना जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान 2002, मध्यान्ह भोजन योजना 1995 में प्रारम्भ की गयी ताकि प्राथमिक शिक्षा में नामाकंन बढ़ सके और सुधार हो सके। प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाय, विद्यालयों में नामाकंन बढें, ड्रॉप आउट की समस्या दूर हो सके। बालिका शिक्षा, एस0सी0/एस0टी0 और निर्बल वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाय। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। और इसे राइट टू एजुकेशन कहा गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा को क्षमताओं में अभिवृद्धि स्वतंन्त्रता का विस्तार तथा शोषण एवं भेदभाव से लड़ने और प्रतिकार करने का उपकरण माना जाता है। शिक्षा जहां एक और व्यक्तित्व के विकास का उपकरण बनती है। वहीं दूसरी और सामाजिक, भेदभाव, अंधविश्वास,रूढ़िवादिता को दूर करने में उपकरणात्मक महत्व रखती है। शिक्षा अनेको सामाजिक दोषों का परिष्कार स्वतः ही कर देती है। साथ ही सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय का वाहक बनती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा की निरपेक्ष उपयोगिता होती है। इसी वजह से शिक्षा को व्यक्ति का मूलभूत अधिकार माना जाता है। तथा इसे मानव अधिकारों (human right)में सम्मिलित किया गया है। आज विकास की वैकल्पित आवधारणा, जिसे मानव विकास (human development)के रूप में माना जाता है।, में शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। (द्रीज एवं सेन 1995) वास्तव में शिक्षा समाज का संस्थागत भाग है। जो समाज में तीन महत्वपूर्ण कार्य है, प्रथम वह आधुनिक समाज का विश्लेषण करती है, द्वितीय वह उभरते हुए समाज को शिक्षित करती है और तृतीय उस समस्त शक्तियों को पहचानती है। एवं उन्हें मजूबती देती है। जो इस उभरते हुए समाज को साकार कर सके। (बॉटमोर 1968)।

साहित्य सर्वेक्षण

रिचा कपूर ने प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक भूमिका विषय पर अपने अध्ययन में पाया कि प्राथमिक शिक्षा में पाया कि प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की सहभागिता अधिक चूंतजपबपचंजपवद ।चचतवंबी और प्रासंगिक हो इस हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान में समुदाय आधारित नेतृत्व करने वाले लोगों को प्रशिक्षण ग्रामीण शिक्षा पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति का अन्य के साथ समन्वय एवं सहभागिता उचित होनी आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति और योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग और साझेदारी के साथ ही अन्य स्टेकहोल्डर्स के सदस्यों को सहभागिता आवश्यक बताया (रिचा कपूर 2014)।

सुनील कुमार,ने अपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना, गठन एवं सदस्यों की अपने कर्तव्यों की जानकारी के स्तर का मूल्यांकन किया। जनपद कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में विद्यालय प्रबन्ध समितियों का अध्ययन क्षेत्र करते हुये पाया कि विद्यालय प्रबन्ध समितियाँ बच्चों के नामांकन, स्कूल विकास योजना तथा वित्तीय संसाधनों के उपयोग पर तो बैठकों में नियमित विचार कर रही है परन्तु शिक्षा की गुणात्मक, बच्चों की उपलब्धियों के स्तर आदि पर कोई भी विचार नहीं कर रही है ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रबन्ध समिति की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह् लगता है (सुनील कुमार 2017)

सैलानी पूजा,2020,हे0न0ब0ग0वि0वि0 ने अपना शोध प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन एवं प्रगति में समुदाय की सहभागिता एवं सशक्तिकरण जनपद चमोली के विद्यालय प्रबन्ध समितियों का

विशेष अध्ययन विषय पर अध्ययन किया। जिसमें अध्ययन क्षेत्र में जनपद चमोली ;उत्तराखण्ड्द्ध के 02 विकासखण्ड़ दशोली एवं जोशीमठ का था। अध्ययन हेतु 500 न्यादर्श का चयन जिनमें 150 अभिभावक, 100 शिक्षक, 150 विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य तथा 100 स्टेक होल्डर का का चयन किया गया। आकडों के सग्रंह हेतु अनुसूचियों का प्रयोग किया गया। आकडों के विशलेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकले है।-

विद्यालय एस0एम0सी0 का बेसिक शिक्षा में नामंकन बढ़ाने में योगदान, स्कूल के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था कराने में एस0एम0सी0 की भूमिका, स्कूल में पुस्तकालय बनाने/विकास करने में एस0एम0सी0 की भूमिका, एस0एम0सी0 का खेल सामग्री प्रदान करने में योगदान, एस0एम0सी0 का शिक्षकों की समय पाबन्दी में योगदान, बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण में एस0एम0सी0 का योगदान, अनुसूचित जाति के बच्चों की पढाई में एस0एम0सी0 का योगदान, अनुसूचित जन जाति के बच्चों की पढाई मेंं सहभागिता 50 प्रतिशत से अधिक सफल पाये गयें। (डा0 पूजा सैलानी)

अध्ययन क्षेत्र

जनपद चमोली (उत्तराखण्ड़) के 02 विकासखण्ड़ दशोली एवं जोशीमठ।

अध्ययन का उद्देश्य

1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में योगदान ।
2. शिक्षा की गुणवत्ता सम्बन्धी मुद्दों का विवरण।
3. विद्यालय प्रबन्ध समिति में वित्तीय एवं प्रशासनिक सम्बन्धी कार्यों का विवरण ज्ञात करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में जनपद चमोली के दशोली और जोशीमठ विकासखण्डों के विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में योगदान का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जनपद चमोली के 09 विकासखण्ड़ों में से उक्त 02 विकासखण्डों का चयन सोद्देश्य न्यादर्श विधि से किया गया। दोनों विकासखण्डों दशोली एवं जोशीमठ में स्थित 25-25 विद्यालयों काचयन किया गया। उक्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य 75-75 कुल 150 न्यादर्श के लिए चयनित किये गये।

जनपद चमोली

चयनित विकासखण्ड़	दषोली	जोशीमठ	कुल सदस्य
विद्यालय प्रबन्ध समिति (सदस्य)	75	75	150

उपकरण

अध्ययन क्षेत्र से आंकडों के सग्रंह के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। 150 उत्तरदाताओं पर प्रश्नावली प्रशासित की गयी।

आंकड़ों का विष्लेषण

सकंलित आकडों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया।

तालिका-1 विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों द्वारा विद्यालय विकास मंे किये गये योगदान

क्र0स0	योगदान का विवरण	विकासखण्ड दशोली स0–75		विकासखण्ड जोशीमठ स0–75	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	मध्यान्ह भोजन	45	60	42	56
2	बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता	40	54	36	48
3	विद्यालय निर्माण में सहयोग	35	47	40	54
4	शिक्षकों की नियुक्ति	46	62	44	59
5	कोई उत्तर नहीं	20	27	04	6

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षित 2018

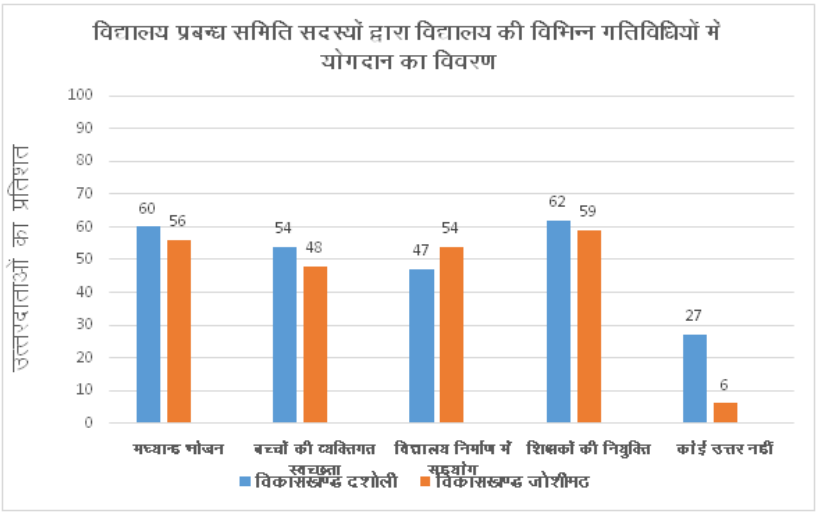

विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय के विकास में किये गये योगदान के विवरण से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक मध्याह्न भोजन योजना के प्रति विकासखण्ड़दशोली में 60 प्रतिशतऔर विकासखण्ड़ जोशीमठ में 56 प्रतिशत तथा शिक्षकों की नियुक्ति में दशोली में 62 प्रतिशत और जोशीमठ 69 प्रतिशत रहा।

स्पष्ट है कि दोनों विकासखण्डों में विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा किया गया योगदान समान था।

तालिका-2 शिक्षा की गुणवत्ता सम्बन्धी मुद्दे

क्र0 स0	मुद्दें	प्रथम बैठक				द्वितीय बैठक				तृतीय बैठक			
		दशोली सं0–75		जोशीमठ सं0–75		दशोली सं0–75		जोशीमठ सं0–75		दशोली सं0–75		जोशीमठ सं0–75	
1	पुस्तक वितरण	60	80%	60	80%	36	48%	33	44%	36	48%	33	44%
2	गृह कार्य	57	76%	63	84%	45	60%	51	68%	42	56%	48	64%
3	गणवेश वितरण	54	72%	60	80%	33	44%	23	30%	30	40%	35	46%
4	शिक्षकों की नियुक्ति	48	64%	45	60%	42	56%	36	48%	24	32%	30	40%
5	शैक्षिक स्तर में सुधार	36	48%	54	72%	33	44%	45	60%	8	10%	33	44%

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षित 2018

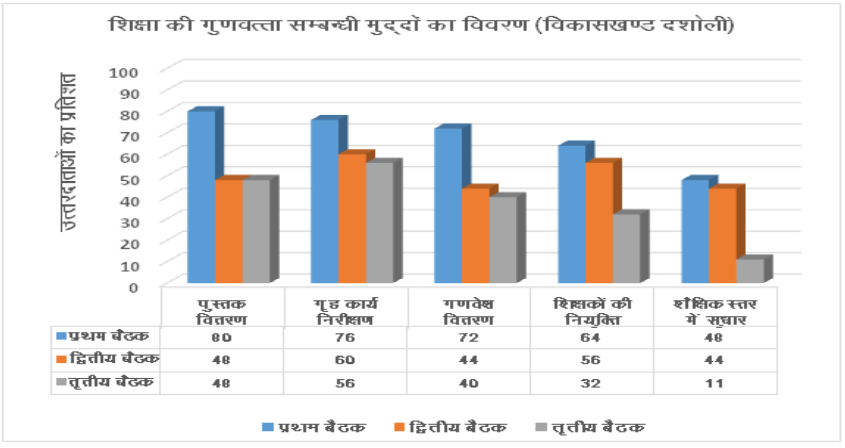

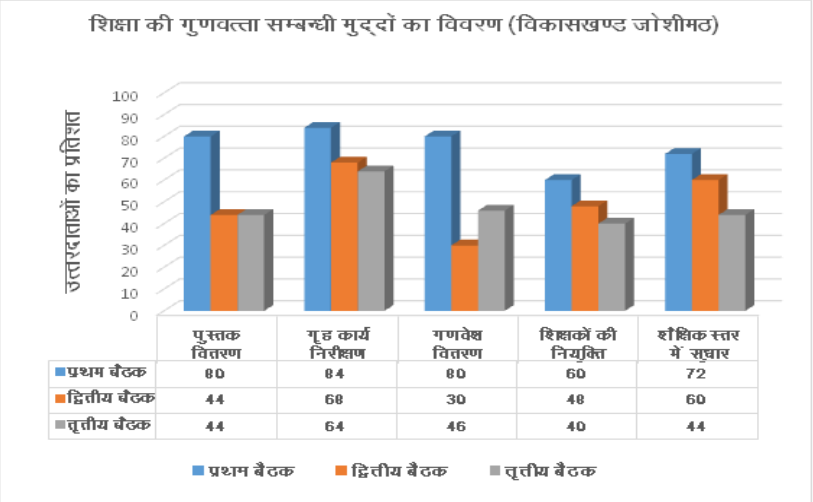

शिक्षा की गुणवत्ता सम्बन्धी मुद्दे के सम्बन्ध में एस0एम0सी0 की प्रथम बैठक में विकासखण्ड दशोली और जोशीमठ में सभी मुद्दों के प्रति योगदान 50 प्रतिशत से अधिक था। द्वितीय बैठक में सर्वाधिक गृहकार्य के प्रति दशोली में 60 प्रतिशत और जोशीमठ 68 प्रतिशत अधिक रहा । तथा तृतीय बैठक में भी सर्वाधिक गृहकार्य के प्रति दशोली 53 और जोशीमठ 64 प्रतिशत योगदान रहा।

तालिका-3वितीय एवं प्रशासनिक मुद्दे

क्र. स.	मुद्दे	प्रथम बैठक				द्वितीय बैठक				तृतीय बैठक			
		दशोली सं0–75		जोशीमठ सं0–75		दशोली सं0–75		जोशीमठ सं0–75		दशोली सं0–75		जोशीमठ सं0–75	
1	बैंक. खाता खोलना	48	64%	54	72%	39	52%	42	56%	42	56%	45	60%
2	आधार कार्ड बनाना	45	60%	51	68%	33	44%	36	48%	27	36%	30	40%
3	एस0सी0एवंएस0टी0 प्रमाण पत्र बनवाना	30	40%	-	-	21	28%	24	32%	33	44%	36	48%
4	छात्रवृत्ति वितरण	24	32%	30	40%	18	24%	21	28%	9	12%	12	16%
5	औचिक निरीक्षण	30	40%	36	48%	27	36%	30	40%	6	8%	24	32%

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षित 2018

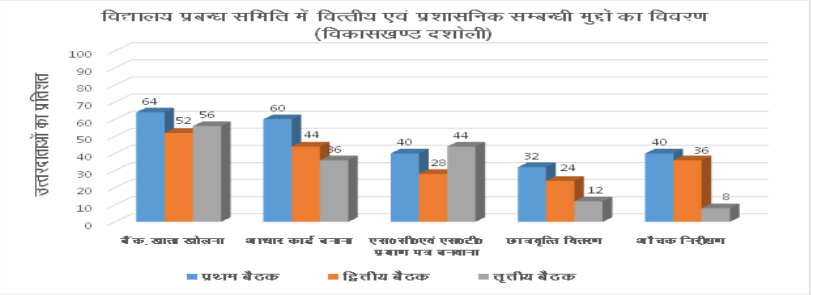

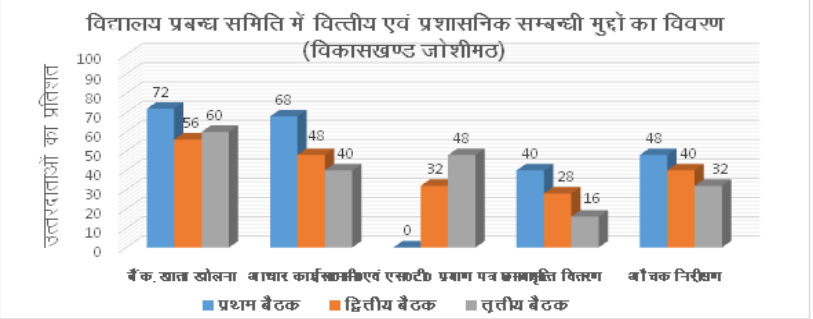

वित्तीय एवं प्रशासनिक मुद्दे के सम्बन्ध में एस0एम0सी0 की प्रथम बैठक में बैक खाता खोलना विकासखण्ड़ दशोली में 64 प्रतिशत जोशीमठ 72 प्रतिशत, आधार कार्ड बनाना में, दशोली 60 प्रतिशत और जोशीमठ 68 प्रतिशत सर्वाधिक योगदान रहा, द्वितीय बैठक में बैंक खाता खोलना, 52 प्रतिशत दशोली 56 प्रतिशत 56 प्रतिशत जोशीमठ में तथा तृतीय बैठक में बैठक खाता खोलना दशोली 56 प्रतिशत जोशीमठ 60 प्रतिशत सर्वाधिक योगदान रहा।

निष्कर्ष

1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में योगदान के सम्बन्ध में सकारात्मक रूचि पायी गयी। सर्वेक्षित विद्यालयों में नामांकन के सम्बन्ध में दोनों विकासखण्डों में नामांकन प्रगति सन्तुष्ट थी। बैठकों में विद्यालय प्रबन्ध समिति की विगत तीन बैठकों में विचार किये गये मुद्दों के सम्बन्ध में नामांकन एवं ठहराव अच्छा पाया गया।
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति स्कूल में संरचना को स्थापित करने, रखरखाव, ड्रॉप आउट कम करने में सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पायी गयी तथा सदस्यों ने बैठकों में स्कूल संरचना और प्रगति पर चर्चा की है। सदस्य वर्षभर स्कूल के क्रियाकलाप और गतिविधियों में भी चर्चा करते है।
3. विद्यालय संरचना, धनराशि का उपयोग, व्यय, सरकार के अलावा समुदाय से स्कूल विकास के लिए विŸाीय संसाधन जुटाना, विŸाीय अभिलेख तैयार करने में एस0एम0सी की भूमिका, स्कूल में साफ सफाई रखने में भूमिका, अभिभावक शिक्षक सघं की बैठकों में एस0एम0सी की भूमिका, मिड़ डे मील प्रदान करने में एस0एम0सी की भूमिका, के प्रति 50 प्रतिशत से अधिक प्रयास किये गये,

सुझाव

1. विचार-विमर्श में यह ज्ञात हुआ कि शैक्षिक अभिशासन की मौलिक या जमीनी ईकाई (Grass Roots Level Unit)स्कूल प्रबंध समितियों को शैक्षिक गुणवत्ता के विभिन्न आयामों एवं अनुश्रवण की पद्धतियों से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अधिकांश स्कूल प्रबन्धन समितियां केवल स्कूल ग्रांट पर ही विचार-विमर्श करती हैं, शैक्षिक गुणवत्ता का प्रबन्धन- जैसे अध्यापकों की उपस्थिति, अध्यापकों व अभिभावकों में विचार-विमर्श आदि उनकी कार्य सूची में नहीं आता है।
2. वर्तमान में स्कूल प्रबन्ध समितियां, जो शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत गठित हैं तथा पंचायती राज संस्थाओं की शैक्षिक जिम्मेदारियां, जो 72वें, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें प्रदत्त हैं, में भी समन्वय आवश्यक है। ग्राम पंचायतें, शैक्षिक प्रशासन में, स्कूल प्रबन्ध समितियों के गठन के बाद, शिक्षित व निष्प्रभावी हो रही हैं। इन दोनों समितियों में परस्पर समन्वय आवश्यक है।
3. प्रस्तुत शोध पत्रका एक प्रमुख निष्कर्ष यह है कि कक्षा में पठन-पाठन और घर पर पढ़ाई में सहायता शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारक है, एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने के कारण अनेक अभिभावक बच्चों की पढ़ाई से विमुख हो जाते है। अतः गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ही प्रत्यक्ष शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख निर्धारक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है कि छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानकों के अनुरूप हो एवं कक्षा में गुणात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अनवरत् जारी रहे।
4. सरकारी स्कूलों में नामांकन गिर रहा है एवं स्कूल बन्द होने के कगार पर हैं। इसलिए यह उचित रहेगा कि (प्रथम) यथासम्भव ऐसे स्कूलों को परस्पर संविलिन कर बड़े स्कूल बना दिये जाये। इससे स्कूलों के संसाधनों (भवन, खेल के मैदान व अध्यापकों) का अनुकूलतम उपयोग होगा। इस प्रक्रिया में निःसन्देह कुछ बच्चों को निर्धारित मानकों से अधिक दूरी पर स्कूल उपलब्ध होंगे। इस समस्या का समाधान बच्चों को स्कूल आवागमन में संरक्षण सुविधा देकर किया जा सकता है। (द्वितीय) जिन विद्यालयों को संविलिन किया जायेगा उनका भवन, खेल का मैदान अनुपयुक्त न रहे, इसके लिए इन सुविधाओं को निजी अवधि के लिए स्कूल या चिकित्सा सेवाओं हेतु किराये पर दिया जा सकता है।
5. सरकारी विद्यालयों में शिक्षण अधिगम का अनुश्रवण अति शिथिल है। दूसरी सामुदायिक सयंन्त्र जिसमें स्कूल प्रबन्ध समितियों की भूमिका होती है, भी अनेक कारणों से प्रभावी नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले गरीब समुदाय की राजनैतिक एवं सामाजिक प्रभाव क्षीण होता है, फलस्वरूप ये समितियां अनेक प्रकरणों मंे निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी हैं। अतः प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समितियों को और अधिकार दिये जायं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *जोम्टेन घोषणा 1990, यूनेस्को घोषणा 1994*
2. *अग्रवाल जे0सी0, (1997)प्राथमिक स्तर पर बच्चों का स्कूल के प्रतिधारणा, भारत में प्राथमिक शिक्षा, विद्या विहार नई दिल्ली*
3. *सिंह डी0पी0 प्रभा बाजपेयी, शिक्षा में प्रबन्धन ,विद्यालय प्रबन्धन एवं शिक्षा की समस्याएं, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर (1998),*
4. *डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2000*
5. *Government of India. 2000. Sarva Shiksha Abhiyan: A Programme for Universal Elementary Education- Framework for Implementation, Ministry of Human Resource Development, Department of Elementary Education and Literacy: New Delhi*
6. *शिक्षा की ओर जागृति, एस0एम0सी0 संदर्भ पुस्तिका, सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून। (2008)*
7. *अश्विनी, (2009) ग्रामीण शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता परिप्रेक्ष्य अंक 16, अप्रैल।*
8. *द राइट ऑफ चिल्ड्रन टु फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाशित।*
9. *शिक्षा की ओर जागृति, सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण, प्रशिक्षण डायरी 2016-17, सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना देहरादून।*